प्रेषक

निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ ।

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों ।
यादि कमांक 214 टीए-हर(1टी)-16/1599-50
दिनांक 18/3/16

विषय Selection of an officer for appointment on deputation to the post of Accounts Officer in CENTRAL WATER COMMISSION, an attached office of the Ministry of Welfae Resources, RD &GR.

....

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

आपको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से प्राप्त पत्र कमांक No.-12023/1/2014-E.1 दिनांक 24.11.2015 की प्रति भेजते हुये लिखा जाता है कि आपके कार्यालय में जो लेखा अधिकारी जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर जाने के इच्छुक हैं वे उचित माध्यम द्वारा अपने दस्तावेज उनके कार्यालय को भिजवायें । जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय नई दिल्ली की ओर से प्राप्त पत्र No.-12023/1/2014-E.1 दिनांक 24.11.2015 का पत्र www.hrtreasuries.gov.in से download किया जा सकता है ।

संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ ।

पृ कमांक टीए-हर(1टी)-16/ दिनांक

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार वित्त विभाग(वि0ले0 शाखा) को उनके पत्र कमांक 10/5/2015-4 वि0ले0 दिनांक 5.01.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ ।

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

सेवा में

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ।

यादी क्रमाक 10/05/2015–4वि0ले0
दिंनाक 04.01.2016.

विषयः Selection of an officer for appointment on deputation to the post of Account Officer in CENTRAL WATER COMMISSION, an attached office of the Ministry of Water Resources, RD & GR.

————

उपरोक्त विषय पर के सन्दर्भ में।

2. विषयोक्त मामले में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरक्षण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुए सरकार को भी भी सूचित करें।

अधीक्षक वित्त लेखा
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

No. A-12023/1/2014-E.I
Government of India / भारत सरकार
Ministry of Water Resources, RD & GR
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
(Establishment/स्थापना-I)

*****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi the dated 24th Nov, 2015

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Selection of an officer for appointment on deputation to the post of Accounts Officer in CENTRAL WATER COMMISSION, an attached office of the Ministry of Water Resources, RD & GR.

The undersigned is directed to say that one post of Accounts Officer in Central Water Commission, an attached office of the Ministry of Water Resources, in the scale of pay in Pay Band-3 (Rs. 15,600-39,100) and Grade Pay Rs. 6,600 is required to be filled up on deputation basis from amongst suitable officers working in Central / State Governments / Organised Accounts Service and fulfilling the following eligibility criteria:-

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-3 (Rs. 15,600-39,100) and grade pay of Rs. 5,400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing any one of the following qualifications (applicable in the case of officers belonging to the Central Government or the State Government other than Organised Accounts Service):-

(i) pass in the Subordinate Account Service/Junior Accounts Officer (Civil) Examination or equivalent examination conducted by any of the organized Accounts Department of the Central Government;

(ii) successful completion of training in Cash and Accounts work conducted by the Institute of Secretariat Training and Management or from any other recognized institution or qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or Masters in Business Administration [Finance] with five years' experience in Accounts and Audit work in the Central Government or Union Territory or Autonomous Bodies or Universities or public sector undertaking.

2. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date prescribed for receipt of applications.

3. The Accounts Officer of Central Water Commission is responsible for ensuring financial regularities of the transactions and maintenance of accounts of transactions of the Commission. His duties, *inter-alia*, include overall supervision of Accounts and Budget Sections of the Commission, tendering advice to senior authorities on matters relating to finance and accounts, monitoring of expenditure and recovery etc. The Head Quarters of this post is presently located in Delhi.

4. The pay of the officer selected will be regulated in accordance with the Department of Personnel & Training's O.M. No. 22/9/91-Estt.(Pay-II), dated 05.01.1994 as amended from time to time. In case of State Government officers whose pay scales have been revised after 01.01.1973 by merging the D.A. etc., the pay and allowances would be, *inter-alia*, governed in terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 1/4/84-Estt. (Pay-II), dated 26.12.1984 as amended from time to time. The selected officer will likely to be posted in Central Water Commission (HQ), New Delhi.

5. It is requested that the post may be circulated amongst all concerned Department/Organisation and the applications of the interested and eligible officers, who can be spared in the event of their selection may be forwarded to this Ministry in the enclosed proforma (5 copies) along with (i) complete upto-date Confidential Report dossiers containing CRs upto 31.3.2015, (ii) Integrity Certificate in the prescribed proforma (iii) Certificate to the effect that no vigilance/disciplinary proceedings are either pending or contemplated against the officer and (iv) statement indicating the penalties, if any, imposed during the last 10 years. The officers who apply for the post will not be allowed to withdraw their candidature subsequently.

6. Applications, complete in all respects may be sent to the *Under Secretary (E-I), Ministry of Water Resources, Room No. 435, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001* within 30 days from the date of Publication in Employment News. Incomplete application or applications received after the stipulated date will not be entertained. Details are also available on this Ministry's website www.mowr.gov.in.

(A. K. KAUSHIK)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 2371 6928

1. All the Ministries/Departments of the Government of India.
2. Chief Secretaries of all State Governments.
3. Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi – 110 002.
4. Controller General of Accounts, Department of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi – 110 003.
5. Controller General of Defence Accounts, West Block No. 5, R.K. Puram, New Delhi.
6. Accountant General, Commerce, Work & Miscellaneous (CW&M), New Delhi – 110 002.
7. Accountant General, Central Revenues, I.P. Estates, New Delhi.
8. Director of Accounts, Ministry of Railways, Rail Bhawan, New Delhi.
9. Senior Deputy Director General (F&P), Ministry of Communication, Sanchar Bhawan, New Delhi – 110 001.
10. All attached/subordinate offices of Ministry of Water Resources.
11. All Officers / Sections in Ministry of Water Resources, New Delhi.
12. Chief Engineer (HRM), Central Water Commission, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110066. It is also requested to get it updated on CWC's website.
13. Shri A. K. Gupta, Technical Director, NIC, 406, SSB, Rafi Marg, New Delhi for updating on this Ministry's website www.mowr.gov.in.

(A. K. KAUSHIK)
Under Secretary to the Government of India
Tel. No. 2371 6928

PROFORMA

APPLICATION FOR THE POST OF ACCOUNTS OFFICER, CENTRAL WATER COMMISSION

Name and Address in block letters :

2. Date of birth (in Christian Era) :

3. Date of retirement under Central / State Government Rules :

4. Educational Qualification :

5. Whether educational and other qualifications required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same). :

	Qualifications / Experience required	Qualification / Experience possessed by the officer
1.		
2.		
3.		

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post :

7. Details of past service in chronological order (please enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient):

Name of office/ organization	Post held	Period for which post held		Scale of Pay and basic pay	Nature of duties, in brief
		From	To		

8. Nature of present employment, i.e. ad-hoc or temporary or permanent. :

Contd...2/-

In case the present Employment is held on deputation / contract basis, please state- :

(a) The date of initial appointment
(b) Period of appointment on deputation / contract
(c) Name of the parent office / organisation to which you belong

10. Additional details about present employment: :
Please state whether working under-
(a) Central Government
(b) State Government
(c) Autonomous Organizations
(d) Government Undertakings Universities

11. Are you in the revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale. :

12. Total emoluments per month now drawn :

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your's suitability for the post. Enclose a separate sheet, if required. :

14. Whether belongs to SC / ST :

15. Remarks :

Signature of the candidate

Address ______________________

Date __________
Countersigned______________
(Employer)

Contd...3/-

VERIFICATION / CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE EMPLOYER

1. It is certified that the information furnished by Shri / Ms ________________ has been checked as per the service record of the individual and found correct.

2. Records of service of Shri /Ms ________________________________ who has applied for the post of Accounts Officer, Central Water Commission has been carefully examined and it is certified that there is no doubt about his/her integrity.

3. Neither any disciplinary proceedings are pending nor has a decision been taken to initiate disciplinary proceedings against Shri/Ms. ________________ who has applied for the post of Accounts Officer, Central Water Commission.

4. In the event of his/her selection, Shri/Ms ______________________ will be relieved of his/her duties in this Office.

Dated the

(Signature with office seal)
Name:
Designation:
Tel. No.

Note: Incomplete applications or applications not in accordance with the format/ particulars will not be entertained.

Statement of penalties for the last ten years in respect of

Shri / Ms ________________________

Sl. No.	Name of the penalty	Details of penalty	Period	Remarks

Dated the

(Signature with office seal)
Name:
Designation:
Tel. No.

Note: Kindly furnish 'NIL' statement if no penalty has been imposed.

सं. ए 12023/1/2014-स्थापना-I.

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(स्थापना-I)

***

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवंबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय – जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकारी का चयन।

अधोहस्ताक्षरी को निर्देश हुआ है कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक सबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के एक पद को केन्द्र/राज्य सरकारों/संगठित लेखा सेवा में कार्यरत उपयुक्त अधिकारियों के बीच से प्रतिनियुक्ति आधार पर पे- बैंड-3(15,600-39,100 रुपए) तथा ग्रेड पे 6,600 रुपए के वेतनमान में भरा जाना अपेक्षित है, जो कि निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(क) (i) जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं, अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पे-बैंड-3(15600-39,100 रुपए) और 5400 के ग्रेड-पे में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा अथवा समतुल्य सहित; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं (जो संगठित लेखा सेवा को छोड़कर केन्द्रीय/राज्य सरकारों से संबंधित अधिकारियों के मामले में लागू होगा) में कोई एक अर्हता है-

(i) केन्द्रीय सरकार के किसी एक संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा/कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण,

(ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो अथवा योग्यता प्राप्त चार्टर्ड लेखाकार अथवा लागत लेखाकार अथवा व्यवसाय प्रशासन (वित्त) में स्नातकोत्तर हो और जिनके पास केन्द्र सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्वायत्त निकाय अथवा विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में लेखा एवं लेखा परीक्षा कार्य में पांच वर्ष का अनुभव हो।

2. केन्द्र सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

केन्द्रीय जल आयोग का लेखा अधिकारी आयोग के लेन देन के लेखों और रख रखाव की वित्तीय नियमितताओं का सुनिश्चित करने का उत्तरदायी होता है। अन्य बातों के साथ साथ उसके कर्तव्यों में आयोग के लेखा और बजट अनुभाग का समग्र पर्यवेक्षण करना, वित्त और लेखा से संबंधित मामलों पर वरिष्ठ प्राधिकारियों को सलाह देना, व्यय और वसूली की निगरानी करना आदि, शामिल है। इस पद का मुख्यालय इस समय दिल्ली में स्थित है।

4. चुने गए अधिकारी का वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 05.01.94 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22/9/91-स्थापना (वेतन-II) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों, जिनके वेतनमान को 1.1.1973 के बाद महंगाई भत्ते आदि को मिलाकर संशोधित किया गया है, का वेतन और भत्ता अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर संशोधित दिनांक 26.12.1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/84-स्थापना (वेतन-II) के अनुसार निर्धारित किया जाता है। चयनित अधिकारी को केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय), नई दिल्ली में तैनात किए जाने की संभावना है।

5. यह अनुरोध किया जाता है कि विज्ञापन को सभी संबंधित विभाग/संगठनों में परिचालित किया जाए और इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें उनके चयन की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन को (i) 31.03.2015 तक की गोपनीय रिपोर्टों सहित पूर्ण अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर (ii) निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (iii) इस आशय का प्रमाण पत्र कि अधिकारी के विरूद्ध कोई भी सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही न तो लंबित है और न ही चलाए जाने का विचार है (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाए गए, यदि कोई हो, दण्डों के ब्यौरे सहित संलग्न प्रपत्र (5 प्रति में) इस मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले अधिकारियों को बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर सचिव (ई-I), जल संसाधन, नदी विकास ओर गंगा संरक्षण मंत्रालय, कमरा सं.435, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 पर भेज दें। अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । विवरण इस मंत्रालय के वेबसाइट www.mowr.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अशोक कौशिक

(ए.के.कौशिक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं.-2371 6928

प्रपत्र

लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग के पद हेतु आवेदन

नाम और पता स्पष्ट अक्षरों में :

जन्म तिथि (ईस्वी सन में) :

केन्द्र/राज्य सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख :

शैक्षिक योग्यता :

क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं। (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)

	अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारी की योग्यताएं/अनुभव
1.		
2.		
3.		

6. कृपया आप स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षा पूरी करते हैं :

7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें।) :

कार्यालय/संगठन का नाम	धारित पद	धारित पद की अवधि		वेतनमान और मूल वेतन	कार्य का स्वरूप, संक्षेप में
		से	तक		

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा स्थाई :

9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें :

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख

(ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि

(ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम

वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण :

कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं-

(क) केन्द्र सरकार

(ख) राज्य सरकार

(ग) स्वायत्त संगठन

(घ) सरकारी उपक्रम

विश्वविद्यालय

11. क्या आप संशोधित वेतनमान ले रहे हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें :

12. वर्तमान में आहरित कुल परिलब्धियां :

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हों। अतिरिक्त शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो। :

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। :

15. अभ्युक्तियां

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता....................................

दिनांक:..........................

प्रति हस्ताक्षरित......................

(नियोक्ता द्वारा मुहर सहित)

नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला जांच/प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की व्यक्ति के सेवावृत्त (सर्विस रिकार्ड) के अनुसार जांच कर ली गई और सही पायी गई।

श्री/सुश्री.. के सेवावृत्त जिन्होंने केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया है, की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी निष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री/सुश्री........ .... के सेवावृत्त जिन्होंने केन्द्रीय जल आयोग में लेखा अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया है, के विरूद्ध न तो कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है और न ही अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

उनके चयन होने की स्थिति में, श्री/सुश्री.. को इस कार्यालय में उनके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

(कार्यालय मुहर सहित हस्ताक्षरित)

नाम:

पदनाम :

दूरभाष :

दिनांक:

टिप्पणी : अपूर्ण आवेदनों अथवा इस प्रारूप/विवरण के अनुसार प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

श्री/सुश्री.. के संबंध में पिछल दस वर्षों के दंड संबंधी विवरण

क्र.सं.	दंड का नाम	दंड के ब्यौरे	अवधि	अभ्युक्ति

(कार्यालय मुहर सहित हस्ताक्षरित)

नाम:

पदनाम :

दूरभाष :

दिनांक:

टिप्पणी : यदि कोई दंड नहीं दिया गया है तो 'शून्य' विवरण दें।